



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 02.12.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त तौकीर पुत्र रहमतुल्ला को अवैध तमंचा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 02.12.2022 को थाना धौरहरा पुलिस द्वारा शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त तौकीर पुत्र रहमतुल्ला निवासी बेलवा गदियाना मजरा खरवहिया नं0 1 थाना धौरहरा जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना धौरहरा पर मु0अ0सं0 877/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से गोवध, बलवा, मारपीट आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

तौकीर पुत्र रहमतुल्ला निवासी बेलवा गदियाना मजरा खरवहिया नं0 1 थाना धौरहरा जनपद खीरी

### बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

01 अदद जिंदा कारतूस

### आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 360/2021 धारा 323/324/325/504 भादवि थाना धौरहरा

मु0अ0सं0 196/2015 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना धौरहरा

मु0अ0सं0 514/2019 धारा 323/324/504 भादवि0 व 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट थाना धौरहरा

मु0अ0सं0 515/2022 धारा 147/341/352/506 भादवि थाना धौरहरा

मु0अ0सं0 862/2022 धारा 147/148/149/323/324/504/506 भादवि थाना धौरहरा

मु0अ0सं0 877/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धौरहरा

मु0अ0सं0 172/1994 धारा 323/504 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट

मु0अ0सं0 246/1995 धारा 379/ भादवि

मु0अ0सं0 152/2005 धारा 147/148/149/504/307 भादवि

मु0अ0सं0 05/2008 धारा 419/420/467/468/471 भादवि

मु0अ0सं0 204/2007 धारा 394/364/411 भादवि थाना इटौंजा जनपद लखनऊ

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 राजन कुमार, थाना धौरहरा
2. हे0का0 सप्ताह दत्त त्रिपाठी
3. का0 सोनवीर

स्वाट टीम व थाना खीरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा, जनपद खीरी के विभिन्न थानों पर पंजीकृत अभियोगों में वांछित शातिर अभियुक्त सैदुल अंसारी को पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 02.12.2022 को स्वाट टीम व थाना खीरी पुलिस की संयुक्त टीम ने थाना धौरहरा पर पंजीकृत अभियोग 587/22 धारा 307 भादवि में वांछित अभियुक्त सैदुल अंसारी पुत्र इकबाल द्वारा चलाए जा रहे चोरी के मोबाइल से प्राप्त लोकेशन के आधार पर सैदुल उपरोक्त की घेराबंदी की गई, इसी बीच सैदुल द्वारा अपने अवैध तमंचे से फायर करके भागने का प्रयास किया गया, जिसमें एसओजी टीम व थाना खीरी पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान सैदुल के बायें पैर में गोली लग गई। जिसे उपचार हेतु पुलिस हिरासत में जिला अस्पताल ले जाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है, जिसके सम्बन्ध में थाना खीरी पर मु0अ0सं0 586/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद खीरी के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, हत्या करने के प्रयास से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सैदुल अंसारी पुत्र इकबाल नि0 ग्राम महाराजनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचां 315 बोर
- 02 अदद जिन्दा व खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 अदद चोरी का मोबाइल फोन (वीवो कम्पनी)
- चोरी के 1,600 रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष खीरी, श्री पंकज त्रिपाठी मय पुलिस टीम
- 2-स्वाट टीम प्रभारी, उ0नि0 जयप्रकाश यादव मय स्वाट टीम

## थाना फरधान पुलिस द्वारा, वारंटी अभियुक्त शाहिद अली पुत्र बाबूशाह को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 02.12.2022 को थाना फरधान पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शाहिद अली पुत्र बाबू शाह थाना फरधान नि० ग्रा० अगगर बुजुर्ग जनपद खीरी संबंधित मु०अ०स० 214/22 धारा 125 Crpc को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय शाहजहां पर के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

अभियुक्त शाहिद अली पुत्र बाबूशाह नि०ग्राम अगगर बुजुर्ग थाना फरधान जिला खीरी

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ०नि० अनूप कुमार मिश्र, फरधान
2. हे०का० प्रमोद कुमार
3. का० नितेश

**थाना फरधान पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी अभियुक्त मोतीलाल पुत्र बंशीलाल को गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 02.12.2022 को थाना फरधान पुलिस द्वारा मु0अ0स0 237/08 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में वारंटी अभियुक्त मोतीलाल पुत्र बंशीलाल नि0 ग्राम कोरारा थाना फरधान खीरी को गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:**

मोतीलाल पुत्र बंशीलाल नि0ग्राम कोरारा थाना फरधान जनपद खीरी

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:**

1. उ0नि0 अनूप कुमार मिश्र, थाना फरधान
2. हे0का0 प्रमोद कुमार
3. का0 नितेश

## वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा विभिन्न अभियोगों में **06 नफर वारण्टी** अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

## अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 125 लीटर अवैध शराब बरामद कर 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **125 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **03 शराब भट्टी** बरामद कर **07 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **07 अभियोग** पंजीकृत किए गए।